शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया था आरोपी

नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

पत्रिका
कोर्ट न्यूज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

टीकमगढ़. शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदण्ड अभिरोपित किया है। मामला लिधौरा थाना क्षेत्र का है।

मामले की जानकारी देते हुए एडीपीओ सुनील नामदेव ने बताया कि घटना 16 फरवरी 2020 की है। लिधौरा थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी के नाती की तबियत खराब होने पर वह उसे लेकर बस से टीकमगढ़ गए थे।

उसी समय उसकी नाबालिग बेटी लिधौरा बस स्टैंड लिधौरा पर बाजार से कुछ सामान लेकर घर जाने के लिए उतर गई थी। शाम को जब यह लोग घर वापस आए तो नाबालिग घर पर नहीं थी। तमाम खोजबीन के बाद भी जब उसकी जानकारी नहीं हुई तो थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने गुम इंसान की कायमी कर जांच शुरू कर दी। वहीं तीन दिन बाद 19 फरवरी 2020 को पीड़िता के दस्तयाब होने पर पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी हरेन्द्र अहिरवार उसे शादी की बात कह अपने साथ दिल्ली ले गया था।

दिल्ली में आरोपी उसे 2 दिन अपने साथ रखे रहा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग की डॉक्टरी कराई और आरोपी हरेन्द्र को गिरफ्तार कर उसकी भी जांच कराई गई। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार एवं पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था।

यह सुनाई सजा

मामले में सुनवाई के बाद पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश एमडी रजक ने तमाम साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी हरेन्द्र अहिरवार को धारा धारा 363 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)(एन) में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंण्डित किया है।